मु .नं. 40 / 2023

08.10.024

पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप.। वकील प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 की रजि.एडी. डिलवरी रिपोर्ट पेश की जो संलग्न पत्रावली है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 को बार–बार आवाज लगाई गई कोई उपस्थित नही इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थी ने अपने तथ्यो को दोहराते हुए निवेद किया कि मौजा लियादरा पटवार हल्का बिजरोल तहसील सांचौर के खेत नवीन खसरा नम्बर 156 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 157 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 158 रकबा 2.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 501 / 158 रकबा 0.75 हैक्टयर, खसरा नम्बर 502 / 158 रकबा 2.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 503 / 149 रकबा 0.13 हैक्टयर , खसरा नम्बर 536 / 505 रकबा 0.22 हैक्टयर, खसरा नम्बर 557 / 499 रकबा 1.42 हैक्टयर कुल रकबा 6.96 हैक्टयर भूमि पैतृक संयुक्त खातेदारी आई हुई है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या संख्या 1 ता 6 प्रेमाराम पुत्र धुकलाराम के वंशज है। प्रेमाराम के दो पुत्र अम्बाराम व रूपाराम तथा तीन पुत्रीयां मंगलीदेवी, मोहनीदेवी, विरमादेवी है। इस प्रकार उक्त भूमि में प्रार्थी का 1/5 हक हिस्सा है तथा अप्रार्थी संख्या 4 ता 6 प्रत्येक का 1/5 हक हिस्सा है इस हक हिस्से अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 का कब्जा काश्त है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 का मिलाकर 1/5 पर ही हक हिस्सा है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 4 ता 6 ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 को आपसी सहमति से हिस्से अनुसार मौके एवं रेकर्ड बंटवाड़ा करने का निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने टालमटोल किया तथा आये दिन खेत की बाड तोड़ देते है, लड़ाई झगड़े करते है व औरतों को आगे करके कब्जे काश्त में दखलन्दांजी करते है। और धमकियां दी कि तुम्हें खेत में काश्त नही करने देगें, खेत खाली करके चले जाओं नही तो लड़ाई झगड़ा करेगें। प्रार्थी रेकर्डेड खातेदार हूँ, तथा मौके पर मुझ प्रार्थी का सहज व शांतिपूर्वक कब्जा काश्त है एवं मुझ प्रार्थी की रहवासीय ढाणी बनी हुई है।अतः मूल वाद ताफैसला तक अप्रार्थीगण के विरूद्व तथा मुझ प्रार्थी के पक्ष में इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारीकर अप्रार्थीगण को जरियें अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमावें।

हमनें वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन व अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण की पुश्तैनी पैतृक समंपति होना प्रकट होता है। प्रकरण में प्रथम दृश्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्व को अन्तिम रूप से पुख्ता किया जाकर इस आशय की अस्थाई निशेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद ताफैसला जारी की जाती है कि मौजा लियादरा पटवार हल्का बिजरोल तहसील सांचौर के खेत नवीन खसरा नम्बर 156 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 157 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 158 रकबा 2.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 501 / 158 रकबा 0.75 हैक्टयर, खसरा नम्बर 502 / 158 रकबा 2.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 503 / 149 रकबा 0.13 हैक्टयर, खसरा नम्बर 536 / 505 रकबा 0.22 हैक्टयर, खसरा नम्बर 557 / 499 रकबा 1.42 हैक्टयर कुल रकबा 6.96 हैक्टयर भूमि में अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड एवं की यथारिथत बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं नम्बर से कम।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.10.17 11:53:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner